

बिहार सरकार
राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार
(समाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग)

जिला बाल संरक्षण समिति (District Child Protection Committee) का गठन एवं कार्य

प्रस्तावना

बाल संरक्षण का मुद्दा एक जटिल विषय है और इसके लिए एक व्यापक और बहु-उद्देश्यीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बच्चों की स्वास्थ्य, पोषण, देखभाल, संरक्षण, विकास, शिक्षा, प्यार, स्नेह और मनोरंजन जैसी कई आवश्यकताएं होती हैं। कुछ बच्चे जो एचआईवी/एड्स अथवा निःशक्तता से पीड़ित होते हैं, की विशेष आवश्यकताएं होती हैं, जिनकी पूर्ति की जानी होती है। इसके अतिरिक्त कानून के संपर्क में आये किशोरों की अतिरिक्त आवश्यकताएं होती हैं, जिनके लिए पुलिस, न्यायपालिका, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों और स्थानीय प्रशासन के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

किसी भी बाल संरक्षण की गतिविधि/हस्तक्षेप को सफल बनाने हेतु विभिन्न विभागों की सेवाओं का एक साथ जुड़ना अत्याधिक आवश्यक है। तथापि इसमें शामिल विभिन्न विभागों को एक ऐसे मंच की आवश्यकता है जिस पर इन सभी भिन्न-भिन्न सेवाओं का मिलन हो सके। 'समेकित बाल संरक्षण योजना (Integrated Child Protection Scheme-ICPS)' इसी उद्देश्य से बच्चों की आवश्यकताओं का समुचित ढंग से समाधान करने के लिए सभी अनिवार्य सेवाओं के अभिसरण (convergence) हेतु व्यापक हितभागी मंच उपलब्ध कराता है। आई0सी0पी0एस0 उन बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान करता है, जिन्हें देखरेख और संरक्षण आवश्यकता है और जो विधि के विरुद्ध अथवा संपर्क में हैं तथा सामाजिक और उचित हस्तक्षेप हेतु पार्श्विक संपर्क प्रदान कर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। साथ ही आई0सी0पी0एस0 अन्य विभागों को एक मंच प्रदान करेगा ताकि वे जब भी आवश्यक हो अपने विद्यमान कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्धारित सेवाएं बच्चों को प्रदान कर सकें।

इसी आलोक में जिला स्तर पर सभी बाल अधिकारों और संरक्षण गतिविधियों के प्रभावी समन्वयन एवं कार्यान्वयन के उद्देश्य से 'जिला बाल संरक्षण समिति (District Child Protection Committee)' का गठन किया जाना है। जिला परिषद् अध्यक्ष की अध्यक्षता में यह समिति आई0सी0पी0एस0 के कार्यान्वयन की कार्ययोजना तैयार कर, उसकी निगरानी, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करेगी। जिला पदाधिकारी इस समिति के सह-अध्यक्ष होंगे तथा सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा-सह-जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे।

जिला बाल संरक्षण समिति (District Child Protection Committee): सांगठनिक संरचना

- | | |
|--|------------|
| 1. अध्यक्ष, जिला परिषद् | अध्यक्ष |
| 2. जिला पदाधिकारी | सह-अध्यक्ष |
| 3. आरक्षी अधीक्षक | सदस्य |
| 4. उप विकास आयुक्त | सदस्य |
| 5. असैनिक शल्य चिकित्सक | सदस्य |
| 6. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी-आई.सी.डी.एस. | सदस्य |
| 7. जिला कल्याण पदाधिकारी | सदस्य |

8. जिला शिक्षा पदाधिकारी	सदस्य
9. जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा	सदस्य सचिव
10. श्रम अधीक्षक	सदस्य
11. कार्यपालक अभियंता (भवन)	सदस्य
12. दूरसंचार	
13. पुलिस अधीक्षक (रेल)	सदस्य
14. जिला जनसंपर्क पदाधिकारी	सदस्य
15. अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति	सदस्य
16. प्रधान सदस्य, किशोर न्याय परिषद्	सदस्य
17. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण	सदस्य
18. आपदा प्रबंधन के नोडल पदाधिकारी	सदस्य
19. बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के जिला स्तरीय पदाधिकारी	सदस्य
20. विशेष किशोर न्याय पुलिस इकाई के समन्वयक	सदस्य
21. धावा दल के गैर सरकारी सरकारी प्रतिनिधि	सदस्य
22. जिला के प्रतिष्ठित महाविद्यालय के मनोविज्ञान के विभागाध्यक्ष	सदस्य
23. जिला में संचालित बाल गृह, बालिका गृह, पर्यवेक्षण गृह	
विशेष गृह के सभी अधीक्षक/उपाधीक्षक	सदस्य
24. चाइल्ड लाईन के प्रतिनिधि (यदि हो)	सदस्य
25. बाल कल्याण एवं बाल सुरक्षा के मुद्दे पर सक्रिय 2 गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि (जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनित)	सदस्य

नोट :- 1 बी.एस.एफ का जिला प्रमुख/एस.एस.बी. एवं अन्य अर्द्धसैनिक बल जो जिला में पदस्थापित है वे स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे।

2. जरूरत के अनुसार अध्यक्ष, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि को शामिल कर सकते हैं।

जिला बाल संरक्षण समिति (District Child Protection Committee): कार्य

समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) में योजना के मूल्यांकन, अनुश्रवण, निगरानी, कार्ययोजना निर्माण तथा कार्यान्वयन परामर्श के लिए जिला स्तर की मौलिक इकाई के रूप में जिला बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया है।

कार्य:

1. राष्ट्रीय बाल कार्ययोजना 2005 में बताये गये बाल संरक्षण कानूनों, योजनाओं और बाल संरक्षण लक्ष्यों की उपलब्धियों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई/जिला बाल संरक्षण सोसाइटी को निर्देश देना। ऐसा करने के लिए राज्य बाल संरक्षण समिति (एस.सी.पी.एस.) द्वारा प्रदत्त निदेश के आलोक में राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिकताओं, नियमों और मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन किया जायेगा।
2. आई.सी.पी.एस. तथा जिला/प्रखण्ड स्तर पर अन्य सभी बाल संरक्षण योजनाओं/कार्यक्रमों और एजेंसियों/संस्थानों को प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निदेश देना तथा पर्यवेक्षण और निगरानी करना।
3. बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय परिषद् एवं जिला बाल संरक्षण इकाई/जिला बाल संरक्षण सोसाइटी की व्यवस्था, समर्थन और निष्पादन की निगरानी एवं आईसीपीएस और अन्य सहायता अनुदान योजनाओं के माध्यम से बाल संरक्षण वातावरण निर्माण को प्राप्तिहित करना।

4. बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय परिषद् गृहों (बाल गृह, खुला आश्रय, पर्यवेक्षण गृह, विशेष गृह) एवं विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण के गठन एवं प्रभावी कार्यान्वयन को प्रोत्साहित एवं निगरानी करना।
5. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000, यथा संशोधित 2006 एवं बिहार राज्य नियमावली 2012 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश देना।
6. बाल संरक्षण कानूनों, नीतियों यथा हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम 1956, अभिभावक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890, बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956/1986, गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम 1994, आदि के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश देना।
7. बाल संरक्षण के मुद्दों पर प्रमुख संस्थाओं यथा स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, शहरी मूलभूत सेवाएं, अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा/अतिपिछड़ा एवं अल्पसंख्यक कल्याण, युवा सेवाएं, पुलिस, न्यायपालिका, श्रम, एड्स नियंत्रण, आपदा प्रबंधन आदि के बीच अंतर क्षेत्रक सह संबंधों को प्रभावी बनाने में समन्वयक की भूमिका निभाना।
8. बाल अधिकार एवं संरक्षण के क्षेत्र में स्वयंसेवी और नागरिक संस्थाओं के साथ नेटवर्क और समन्वय स्थापित करना।
9. कठिन परिस्थिति में रह रहे बच्चों की संख्या एवं स्थिति आंकलन हेतु जिला आवश्यकता अध्ययन (district need assessment) को वार्षिक रूप से नियमित सम्पन्न करवाना।
10. जिला आवश्यकता अध्ययन (district need assessment) के आधार पर जिला बाल संरक्षण के लिए गतिविधियों की जिला वार्षिक योजना का निर्माण करना।
11. आईसीपीएस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रखण्ड स्तरीय एवं ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियों का गठन सुनिश्चित करना एवं उनकी गतिविधियों की नियमित समीक्षा करना।
12. जिला में बच्चों को आवासीय सुविधा प्रदान करने वाले सभी संस्थानों/अभिकरणों का पर्यवेक्षण और निगरानी।
13. बच्चों को प्रभावी सेवाएं प्रदान करने के लिए बाल संरक्षण प्रणाली के तहत काम करने वाले सभी कार्मिकों (सरकारी और गैर-सरकारी) का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।
14. प्रखण्ड एवं समुदाय स्तर पर बाल संरक्षण कार्यक्रम में स्वैच्छिक युवा भागीदारी को प्रोत्साहित देना।
15. सभी स्तरों पर बच्चों को या तो उनके परिवारों में वापस भेजने की सुविधा प्रदान करना अथवा बच्चे को प्रवर्तकता, संबंधियों द्वारा देखरेख, स्वदेशी दत्तक ग्रहण, पालन-पोषण देखरेख, अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण और संस्थानों में रखने के माध्यम से दीर्घ और अल्प पुनर्वास में भेजने की प्रक्रिया की निगरानी करना।
16. चाइल्डलाईन की गतिविधियों का आकलन तथा समीक्षा करना।
17. चाइल्डलाईन द्वारा हस्तक्षेप किए गए मामलों से उभरने वाले नीतिगत मुद्दों का निवारण करना।
18. चाइल्डलाईन प्रणाली को अधिक बाल अनुकूल बनाने के लिए कार्य करना।
19. राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा समय-समय प्रदत्त निर्देशों के आलोक में आई.सी.पी.एस. की गतिविधियों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण, आदि।

कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया:

(क) समिति प्रति त्रैमासिक नियमित बैठक करेगी जैसा अध्यक्ष उचित समझे, किन्तु इसकी पिछली एवं अगली बैठक के बीच तीन माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा।

- (ख) सामान्यतया बैठक से कम से कम दो स्पष्ट कार्य दिवस पूर्व कार्य सूची प्रत्येक सदस्य की प्रचारित किया जयेगा।
- (ग) यदि अध्यक्ष, किसी कारणवश समिति की बैठक में शामिल होने से असमर्थ हो, तो उपस्थित सह-अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

बैठक का कार्यवृत्त:

- (क) समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही बैठक के दौरान ही या उसके तुरन्त बाद सदस्य सचिव द्वारा यथा निदेशित अन्य डी.सी.पी.यू./डी.सी.पी.एस. पदाधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जायेगा।
- (ख) समिति की बैठक की कार्यवाही अनुमोदन हेतु अध्यक्ष की समर्पित की जाएगी और सभी सदस्यों को यथाशीघ्र तथा किसी भी दशा में अगली बैठक के प्रारंभ के पर्याप्त पूर्व प्रचारित की जाएगी।
- (ग) यदि कोई सदस्य बैठक में अनुपस्थित रहते हैं तो बैठक में हुए निर्णय को कार्यान्वित करने की जवाबदेही उनकी होगी।
- (ग) प्रत्येक उत्तरवर्ती बैठक में अनुवर्ती कार्रवाई का प्रतिवेदन समिति के सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें कि वैसे हरेक मद पर की गई कार्रवाई की वर्तमान स्थिति दर्शायी जाएगी जिस पर समिति ने अपने पूर्व की किसी बैठक में कोई निर्णय लिया हो, सिवाय उन मदों के जिन पर आगे किसी कार्रवाई की आवश्यकता न हो।

सचिवालीय कार्य

जिला बाल संरक्षण इकाई/जिला बाल संरक्षण सोसाइटी समिति के सहयोग देने के लिए सचिवालीय सहयोग प्रदान करेगा। जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी समिति में सदस्य सचिव की भूमिका में रहेंगे।